संख्या-664/2025/आई/1169211/23-1-25/003-23-1002(002)/300/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 58 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 58 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 50,98,25,000/- (रूपये पचास करोड़ अट्ठानबे लाख पचीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 17,84,38,000/- (रूपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	525259	एम0जी0बी0एस0एन0 से सरजोतिया वाया नरायनपुर सम्पर्क मार्ग	6.000	115.31	40.36
2	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520079	किशुनपुर ग्रन्ट सम्पर्क मार्ग	3.550	68.77	24.07
3	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	521085	रामपुर अरना से बभनपुरवा सम्पर्क मार्ग	3.500	55.00	19.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
4	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	521082	गन्धौरनगर चौराहा से रानीपुर सम्पर्क मार्ग	5.000	85.01	29.75
5	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	520680	मुहम्मदपुर बंजरहा मार्ग	2.200	57.53	20.13
6	I/320855/2025 dt 28.10.25	नि.ख. बलरामपुर	526086	मनकापुर उतरौला मार्ग से किमी 20 से पश्चिम नगर पटरी होते हुए बकटवाए मौवहरिया सोनापारए उदयपुर प्राथमिक पाठशाला भैरवाए मिर्जकपुरवा होते हुए भुलभुलिया तक सम्पर्क मार्ग	6.500	122.22	42.78
7	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	520147	उतरौला पचपेड़वा चन्दनपुर मार्ग से मदरहिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.000	60.12	21.04
8	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	525258	यू0पी0सी0 से मोथिवा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.200	65.18	22.81
9	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	520379	महरी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.000	63.74	22.31
10	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	52497	केवलपुर मिश्रौलिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	1.700	63.83	22.34
11	I/344777/2025 date 15/11/2025	प्रा.ख. बलरामपुर	526125	बहराइच सिरसिया तुलसीपुर गुलरिहा मार्ग (राज्य मार्ग सं0- 158) के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.235	91.56	32.05
12	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	520210	बेला सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	5.500	120.03	42.01
13	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बलरामपुर	526063	ललिया महाराजगंज (ओ.डी.आर.) किमी0 13 से महाराजगंज रूपनगर मार्ग के किमी0 4 से लहेरी चैराहा से विजयडीह सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.500	113.35	39.67
14	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बलरामपुर	520310	खैरा मार्ग से रजवापुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	3.500	45.53	15.94
15	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बलरामपुर	520360	रमईडीह गुरचाही सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य	2.700	66.76	23.37
16	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	521008	पी0बी0 मार्ग से मेवईलालपुरवा लुचुईया सम्पर्क मार्ग	2.2	51.28	17.95
17	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	526131	खगईजोत कल्लू बनकट मार्ग (अन्य जिला मार्ग)	3.00	47.02	16.46
18	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	520445	जाफराबाद से कर्मिनडीह सम्पर्क मार्ग	1.10	41.87	14.65
19	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	520938	पी0बी0 मार्ग कपौवा षेरपुर सम्पर्क मार्ग	1.30	43.48	15.22

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
20	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	526232	राजघाट सेखुईकला धमौली जुवाथान मार्ग	0.60	44.11	15.44
21	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख. बलरामपुर	520948	कटरा शंकरनगर सम्पर्क मार्ग	3.00	48.29	16.90
22	I/303488/2025 dt 9.10.25	नि.ख.-1 बहराइच	501027	कैसरगंज मलौना घाट मार्ग से बिरथनाडीह वाया हाजीपुर निमदीपुरवा सम्पर्क मार्ग	0.950	69.76	24.42
23	I/327667/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 बहराइच	506772	नरौलिहनपुरवा सम्पर्क मार्ग	1.940	110.68	38.74
24	I/327667/2025 dt 01.11.25	नि.ख.-1 बहराइच	500839	भकोसा लघु सेतु पहुँच मार्ग	0.850	57.70	20.20
25	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500063	टेरी सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	86.21	30.17
26	I/320858/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. बहराइच	500540	मटिहा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	49.06	17.17
27	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. बहराइच	500476	जलालपुर चैगोई धनकुट्टी माधवपुर रघुनाथपुर नवाबगंज इमलिया निम्निहारा (अ0जि0मा0) के किमी0-9 (235) एवं 10 (619) में आबादी भाग में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.864	100.81	35.28
28	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. बहराइच	500496	सिरसिया सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.425	49.31	17.26
29	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	505189	केवलपुर सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.350	94.40	33.04
30	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	500169	मैकूपुरवा शेष भाग सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.300	81.63	28.57
31	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	501321	सिलौटा सं0मार्ग से लोहारनपुरवा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.100	68.38	23.93
32	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	501388	जंगलीपुरवा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.200	76.30	26.71
33	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	506954	बेटौरा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	90.74	31.76
34	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. बहराइच	504023	संगवा से समदा बाजार सं0मार्ग (समदा बाजार से बबुरी होकर ढिढोरनपुरवा सेस बभनपुरवा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	189.51	66.32
35	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. बहराइच	500467	रामनगर गुलरिहा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.220	111.40	38.99
36	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. बहराइच	500787	फुलटेकरा सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.160	142.92	50.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
37	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. बहराइच	500290	चौकसाहार सं0मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	6.000	312.92	109.52
38	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा0ख0 बहराइच	500538	नानपारा गढीघाट मार्ग से इमामगंज वाया ककरहा बुधवा मार्ग विशेष मरम्मत का कार्य।	0.130	87.51	30.62
39	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	531860	औसानी से केवटहिया सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.900	43.71	15.30
40	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530406	छपिया गांदही सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	78.40	27.44
41	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	536693	दरियापुर प्रधानमंत्री मार्ग से सुरवार बुजुर्ग चौधरी चौराहा बाबागंज वाया शीतलगंज सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	78.65	27.53
42	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	535298	परसा मंडप मार्ग से पिकौरा बुजुर्ग होते हुए परसा उदयकर चौराहा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	89.25	31.24
43	I/344777/2025 date 15/11/2025	नि.ख.-2 गोण्डा	531823	कटरा चौरी मार्ग (अ0जि0मा0) के विशेष मरम्मत का कार्य।	8.600	499.59	174.86
44	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख.-1 गोण्डा	530943	बृजवासीपुरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	4.00	64.35	22.52
45	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख.-1 गोण्डा	531122	गोण्डा चन्दवतपुर तिलका कटरा बाजार मार्ग से केशवपुर घोसियाना सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.850	53.42	18.70
46	I/366469/2025 Dt. 03-12-2025	नि.ख.-1 गोण्डा	538299	सालपुर सोनबरसा पक्की सडक से रामबलीपुरवा, दासपुरवा खम्हरिया होते हुए बदलपुरवा मूडाडीहा तक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	3.400	50.54	17.68
47	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	537036	तेलीपुरवा से रनियापुर होते हुये दुधरवा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	6.000	113.70	39.80
48	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	538173	रमवापुर हरदोपट्टी सेतु के पंहुच मार्ग एवं अतिरिक्त पहंुच मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.400	52.99	18.55
49	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530430	बेलवा बहुता सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	45.92	16.07
50	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530448	इटियाथोक बाबागंज मार्ग से लौहशीशा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	94.49	33.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
51	I/327669/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. गोण्डा	530456	गोण्डा बलरामपुर मार्ग पर पारासराय लखई से बरडीहा सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	47.39	16.58
52	I/366420/2025 Dt. 03-12-2025	प्रा.ख. गोण्डा	530347	खरगूपुर विशुनपुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	0.500	89.84	31.44
53	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510084	हरिहरपुर गुरूदत्तपुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	79.63	27.87
54	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510227	मल्हीपुर कला सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	67.61	23.66
55	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510206	जमुनहा भवनियापुर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 एवं 2 में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	53.30	18.66
56	I/327667/2025 dt 01.11.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510297	गंगाभागड़ सम्पर्क मार्ग के किमी0-1(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.500	50.70	17.75
57	I/320855/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510389	एस0एच0-96 भिनगा-लक्ष्मनपुर मार्ग के किमी0-11 सम्भरपुरवा से दुदवानी पिपरहवा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1, 2, 3 एवं 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	105.52	36.93
58	I/320855/2025 dt 28.10.25	प्रा.ख. श्रावस्ती	510787	रामगढ़ी से मध्यनगर सम्पर्क मार्ग के किमी0-1, 2 एवं 3(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.500	90.02	31.51
					योग-	**5098.25**	**1784.38**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 17,84,38,000/- (रूपये सत्रह करोड़ चौरासी लाख अड़तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-664/2025/आई/1169211(1)/23-1-25/003-23-1002(002)/300/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in